POLITY

राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ एवं भत्ते → Art. 59 [3]

[The Emoluments and Allowances of the president]

⇒ संसद विधि द्वारा नियत करे Parliament may by law appoint

⇒ राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है।
The president's Salary is paid from the Consolidated fund of India, which is exempt from [Income tax] → free

वेतन ⇒ Art. 59 [3]
- निर्धारण ⇒ संसद
- भारत की संचित निधि → Art. 266
- कर मुक्त [Tax free] → Control नियंत्रण → संसद [Parliament]

⇒ 5 Lakh's ₹०
- Per Month → प्रत्येक माह

महाभियोग → Impeachment ⇒ Art. 61 [अमेरिका से लिया गया है]

- राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया
- आधार [Base] ⇒ संविधान का अतिक्रमण / उल्लंघन
 Voilation of Constitution

↳ महाभियोग प्रस्ताव [Impeachment Motion]

① प्रस्ताव की सूचना (Information of Motion) ⇒ राष्ट्रपति को देना।

↳ Before 14 day's (14 दिन पूर्व)

↳ नोटिस (सूचना) ⇒ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर (Signature)

⇓

जिस सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है

Que:- महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में होती है?

↳ किसी भी सदन में [either House of Parliament] LS/RS

ex:- शुरुआत → (LS) ⇒ ① नोटिस (14 दिन पहले)

↳ 1/4 members Signature

(LS) ⇒ total members ⇒ 543

543 X 50% +1

② LS में पेश [Introduced in LS]

③ LS में प्रस्ताव पर चर्चा [Discussion on the motion in LS]

⇒ Pass ⇒ पारित ⇒ उपस्थित और मतदान (Presents Voting) X 2/3

④ ⇒ LS में 2/3 बहुमत से पारित Pass

⇓

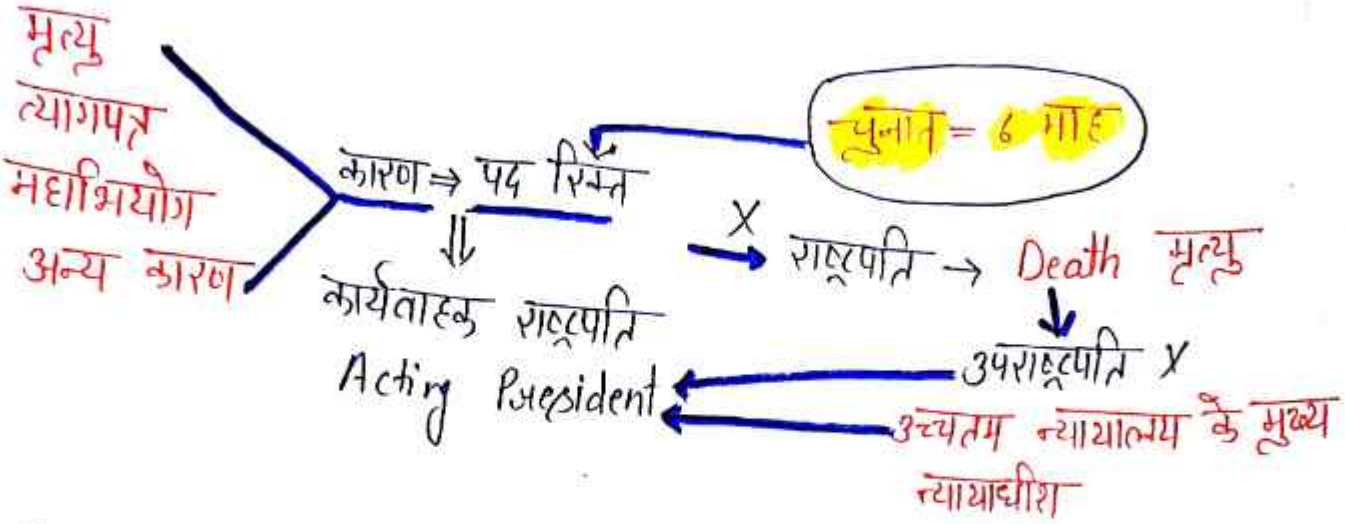
(RS) → ① पेश ③ 2/3 बहुमत से पारित

② चर्चा

⇒ राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति

[Fulfill the Vacancy of President]

अनुच्छेद 62



यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जायेगा।

If the post of president falls vacant due to death, resignation impeachment or any other reason, then elections will be held withim 6 months to fill it.

जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारण से) रिक्त होता है तो उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

When the office of the president falls vacant accidentally (due to death, resignation, removal or any other cause), the Vice-president acts as Acting president.

President X → उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम 1+ (33)
अराष्ट्रपति most Senior judge of S. Court

S. Court → मुख्य न्यायाधीश X

⇒ उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

If the post of Vice president is also vacant, then the Chief Justice of India and in the event of vacancy of the post of Chief Justice, the Senior-most judge of the Supreme Court acts as the acting president

→ 1967 → डॉ० जाकिर हुसैन - राष्ट्रपति

↳ 1967 - 1969 ⇒ Death मृत्यु

1969

S-Court ⇒ सम०

विधायतुल्ला ⇒ कार्यवाहक राष्ट्रपति

↓

अराष्ट्रपति ⇒ वी. वी. गिरि

→ कार्यवाहक राष्ट्रपति

↓

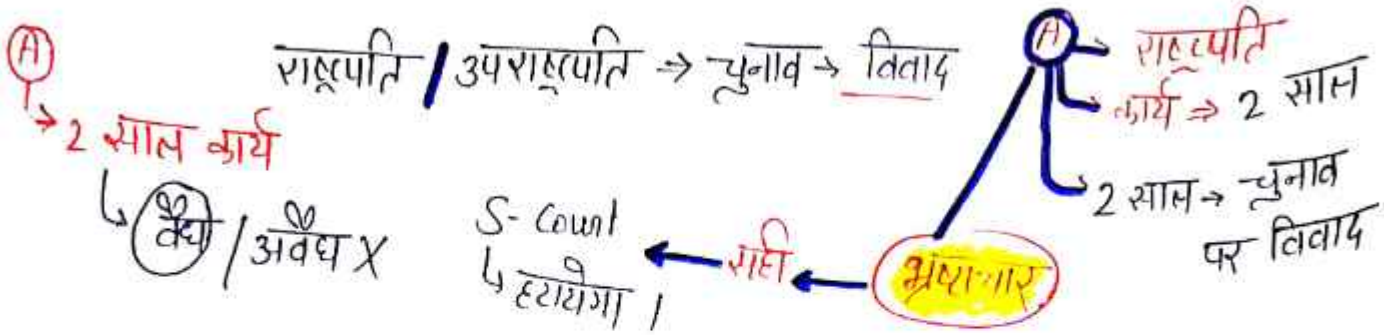
Resign त्यागपत्र

कार्यकाल - 6 माह

वेतन - राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद

⇒ अनुच्छेद - 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा। Article 71 States that disputes relating to the election of the president and Vice-president shall be decided by the Supreme Court and its decision shall be final.



कार्यपालिका शक्तियां [Executive Power]

⇒ अनुच्छेद - 53

⇒ अनु॰ 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।
According to Article. 77. all executive actions of the Government of India are performed in the name of the president.

⇒ वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। He appoints the Prime Minister of India and other key officials of the Union.

⑥ UPSC → Chairman / members
⑦ - finanance Comission वित्त आयोग etc.

Appointment
नियुक्ति →
① PM
② Union Council of ministers / संघीय मंत्रिपरिषद
③ राज्यपाल [Governor]
④ Judges of Supreme or High Court / उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
⑤ CAG →

विधायी शक्तियाँ [Legislative Powers]

→ संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य सभा तीनों से मिलकर होता है. (अनुच्छेद - 79)

Parliament is formed by the president, Lok Sabha and Rajya Sabha (Article 79)

→ कानून बनाना